छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, परिवहन विभाग
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक 207/स.परि./2020 नवा रायपुर, दिनांक 28/04/2020

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक,
2. समस्त क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी,
3. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र,
छत्तीसगढ़।

विषयः–राज्य में अन्य राज्यों से आ रहे मालवाहक यानों के ड्राईवर/हैल्पर के संबंध में तथा उद्योगों में माल परिवहन में कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण हेतु संयुक्त निर्देश।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओ के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के माल परिवहन की अनुमति सोशल डिस्टेंस रखते हुए किये जाने के लिए निर्देश दिये गये है। अन्तर्राज्य माल परिवहन निरंतर जारी है तथा कोरोना प्रभावित राज्यों से मालवाहक यानों के साथ ड्राईवर एवं हैल्पर भी आ–जा रहे है। इन परिस्थितियों में यह संभावित है कि उक्त व्यक्तियों में से कोरोना कैरियर होने की दशा में उनके माध्यम से कोरोना संक्रमण का प्रकोप छत्तीसगढ़ में फैल सकता है। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेः–

1. अन्य राज्यों/जिलों से आये मालवाहक यानों के साथ ड्राईवर एवं हैल्पर को लोडिंग/अनलोडिंग पाईंट पर ही रूकने हेतु स्थलों का चिन्हांकन किया जाये। ड्राईवर एवं हैल्पर को नगरीय क्षेत्र की सीमा के भीतर न आने की सलाह दी जाए तथा लोडिंग/अनलोडिंग पाईंट पर ही रूकने हेतु कहा जाए। उन्हें अन्य व्यक्तियों से मिलने–जुलने एवं अनावश्यक अन्य स्थानों पर जाने से हतोत्साहित किया जाये। पेयजल, खाने–पीने की व्यवस्थाएँ उसी निश्चित स्थान लोडिंग/अनलोडिंग पाईंट/गोदाम के स्वामी द्वारा की जाए।

2. अनलोडिंग पाईंट पर पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने की स्थिति में नगरीय क्षेत्र की सीमा के बाहर उपयुक्त स्थल पर उनके रूकने की व्यवस्था की जाए।

3. यथासंभव माल वाहनों से लोडिंग/अनलोडिंग भीड़–भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर न की जाए। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाए जब वहां पर भीड़–भाड़ न हो।

4. ड्राईवर, हैल्पर एवं श्रमिकों को कार्यस्थल पर फेसमास्क के उपयोग करने की सलाह दी जाये। सभी माल वाहनों का सैनिटाईजेशन भी अनिवार्य रूप से कराया जाये।

5. स्थानीय परिवहन संघों को कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए इन उपायों के जरूरी होने की जानकारी बैठक या अन्य उपयुक्त माध्यम से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दी जाए एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

जारी .. 2 ..

Scanned with CamScanner

6. उद्योगों में माल परिवहन तथा सीमित संख्या में व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति दिए जाने की व्यवस्था है। अतः सभी औद्योगिक परिसरों में भी सैनिटाईजेशन, फेसमास्क तथा सोशल डिस्टेंस संबंधी निर्देशों का पालन करने के लिए कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा स्थानीय औद्योगिक संस्थानों/संघों की बैठक लेकर या अन्य उपयुक्त माध्यम से इन जरुरी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
परिवहन विभाग

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृ. क्रमांक 208/स.परि./2020 नवा रायपुर, दिनांक 28/04/2020

1. विशेष सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, छ.ग. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. विशेष सहायक, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, छ.ग. शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. परिवहन आयुक्त,
6. समस्त संभागायुक्त/पुलिस महानिरीक्षक
7. संचालक, उद्योग
8. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
परिवहन विभाग

Scanned with CamScanner